



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 49/2025

दिनांक: 16.10.2025

अधीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री छीतर मल जाट	01.04.1969	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क
2.	श्री दुर्गेश सिंह बिसेन	21.09.1990	पदोन्नति पर	अंकेक्षण, जयपुर (अलवर) (एजीटी-2026 तक)
3.	सुश्री प्रीती राठौर	10.08.1989	प्रतिनियुक्ति से लौटने पर कार्यग्रहण पर	सीमा शुल्क
4.	श्री धीरेन्द्र खंडेलवाल	23.04.1992	पदोन्नति पर	अंकेक्षण, जोधपुर
5.	श्री अंकुल चौधरी	28.09.1989	पदोन्नति पर	डीजीजीआई, जयपुर (सीसीओ, जयपुर से ऋण आधार पर) (एजीटी-2026 तक)
6.	श्री दिनेश कुमार लूनिया	15.01.1987	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, उदयपुर
7.	श्री नितिन खरबंदा	11.07.1991	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, उदयपुर
8.	श्री कमलदीप कुमार	10.10.1990	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क
9.	श्री संजीव चौधरी	09.05.1987	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, जयपुर
10.	श्री आदर्श कुमार	14.12.1991	पदोन्नति पर	अंकेक्षण, जोधपुर
11.	श्री गौरव	10.07.1991	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, अलवर
12.	श्री रामजी लाल मीना	10.10.1991	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, जयपुर
13.	श्री पीयूष कुमार	01.02.1983	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, जोधपुर
14.	श्री रवि कान्त	20.03.1990	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, जयपुर
15.	श्री अविनाश जयपाल	09.11.1991	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, उदयपुर
16.	श्री अखिल राज	02.10.1991	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, जोधपुर
17.	श्री कुलजीत	01.06.1985	पदोन्नति पर	डीजीजीआई, जयपुर (सीसीओ, जयपुर से ऋण आधार पर) (एजीटी-2026 तक)
18.	श्री आशुतोष लूनीवाल	30.09.1990	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, अलवर

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE

2. सुश्री प्रीती राठौर, अधीक्षक को आज दिनांक 16.10.2025 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण, जयपुर/ अंकेक्षण, जोधपुर/ अपील, जयपुर/ अपील, जोधपुर/ सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर मुख्यालय, जयपुर।
2. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई, जयपुर।
3. अपर आयुक्त (सीसीयू), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन, जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. सम्बंधित अधिकारी।
6. अधीक्षक संघ।
7. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
8. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।